

झारखण्ड सरकार  
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक:- 06/ABDM/39/2024-25 / 399  
प्रेषक,

राँची/दिनांक:- 09-01-2025

अलका तिवारी,  
मुख्य सचिव।  
सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव  
सभी प्रधान सचिव  
सभी सचिव  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,  
सभी उपायुक्त,  
झारखण्ड।

विषय:- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारीगणों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउण्ट (आभा नम्बर) बनाने के संबंध में।

महाशय,

स्वास्थ्य सुविधाओं को आमजनों तक सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) प्रारंभ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के डिजिटलीकरण के लिए एक आधार विकसित करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना की परिकल्पना स्वास्थ्य सेवाओं को दक्ष, सुगम, समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए की गई है। इस मिशन के तहत देशवासियों को कई लाभ प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा उपचार तक परेशानी मुक्त पहुंच, स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए आसान साइन-अप और भरोसेमंद पहचान इत्यादि।

2. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत सभी नागरिकों का 14 अंकों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउण्ट (आभा स्वास्थ्य कार्ड) बनाना अनिवार्य है। आभा नम्बर के माध्यम से सभी नागरिक व्यक्तिगत रूप से निजी हेल्थ रिकार्ड को संधारित एवं साझा कर सकते हैं। आभा नम्बर बनवाने में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। दिए गए लिंक <https://abha.abdm.gov.in/abha/v3/register> के माध्यम से स्वयं भी आभा नम्बर बनाया जा सकता है।

3. अतः अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारीगणों का आभा आईडी0 बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,

a. Sivar  
(अलका तिवारी)  
मुख्य सचिव